न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 22 / 2026(GCMS 2026/62)

(RTI No. 212603964862983)

श्री खेमराज सोनी निवासी वार्ड नं. 09, बडली आवासीय योजना, जोधपुर, जिला जोधपुर– 342005 (मोबाईल नम्बर : 80944–95324)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं **उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13.04.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री खेमराज सोनी स्वयं उपस्थित उन्हें हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 12.02.2026 से उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति लगाकर, वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी खेमराज सोनी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 12.02.2026 से उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ से निम्न सूचना चाही थी :

> ग्राम रामसिंहपुर में संचालित प्राईवेट स्कूलों की सूची और उसमें कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता और उनको दी जा रही पगार/तनख्वाह और उनके पद नाम की सूचना आरटीआई के तहत देवें।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ ने अपने पत्रांक आरटीआई / 2026 / 164 दिनांक 06.04.2026 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि द्वारा आरटीआई ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 212878182609024 दिनांक 12.02.2026 में चाही गई सूचना इस कार्यालय के आर.टी.आई. पोर्टल क्रमांक 1133107530 दिनांक 26.02.2026 के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत इस प्रकार पृष्ठांकित कर खारिज किया गया [illegible] आवेदन दस्तावेज उपलब्ध करवाने के [illegible] नहीं [illegible] अधिनियम की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत सूचना की परिभाषा में नहीं आता है। अतः आवेदन निरस्त किया जाता हैं।
>
> उक्तानुसार रिपोर्ट प्रेषित कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी खारिज करने का श्रम करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:11:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 22/2026
(GCMS No. 2026/62)
(RTI No. 212603964862983)
खेमचंद सोनी बनाम उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़ ने अपील का जवाब, उक्तानुसार दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है, जो** निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। **सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़ ने** अपील का जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.04.2026 को मे[illegible]या जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:11:20 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर